रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1220] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2010/ज्येष्ठ 26, 1932
No. 1220] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2010/JYAISTHA 26, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2010

का.आ. 1444(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात्-कि हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) के 0.000 कि.मी. से 13.035 कि.मी. (सोनीपत सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

सन् 1985 की रिट याचिका संख्या 13029 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जिसके द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना की कल्पना की गई थी, के अनुसरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए उक्त भूमि का अर्जन किया जा रहा है । भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तारीख 18 अगस्त, 2005 के आदेश के अनुपालन में, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति की निगरानी की जा रही है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भूमि अर्जन अधिकारी, पानीपत, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई–II (ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे) के 0.00 कि0मी0 से 13.035 कि0मी0 तक (सोनीपत सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या.	जिले का नाम	तहसील/ तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनीपत	1 सोनीपत	(1) बढखालसा	120	पंचायतदेह	गैरमुमकिन रास्ता	1442.00
				22//3/1/1/3	निजी	कृषि	810.00
				118 मिन	पंचायतदेह	गैरमुमकिन रास्ता	200.00
				116 मिन	पंचायतदेह	गैरमुमकिन रास्ता	200.00
				51 मिन	पंचायतदेह	गैरमुमकिन/ खाल	428.00
				25//26	निजी	गैरमुमकिन कुंआ	200.00
				25//27	निजी	गैरमुमकिन कुंआ	151.00
				25//28	निजी	गैरमुमकिन कुंआ	200.00
			(2) सेवली	189	पंचायतदेह	गैरमुमकिन रास्ता	200.00
			(3) पतला	71	पंचायतदेह	गैरमुमकिन रास्ता	200.00
				13//27	निजी	गैरमुमकिन कुंआ	251.00
				56	पंचायतदेह	गैरमुमकिन रास्ता	757.00
				77	पंचायतदेह	गैरमुमकिन रास्ता	202.00
				20//26	निजी	गैरमुमकिन कुंआ	251.00
				72	पंचायतदेह	गैरमुमकिन रास्ता	200.00
				20//27	निजी	गैरमुमकिन कुंआ	251.00
			(4) मनोली	107//3/2	निजी	कृषि	708.12
			(5) जाखौली	121/121	निजी	कृषि	511.00
				22	निजी	कृषि	147.00
				122/25	निजी	कृषि	101.00
				132/5/2	निजी	कृषि	428.00
				133/1/1	निजी	कृषि	1294.00
				133/1/2	निजी	कृषि	1137.00
				133/2	निजी	कृषि	801.00

[फा. सं. भाराराप्रा/डीपीआर/ईपी ईएक्सपी/2005/एलए]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2010

S.O. 1444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building, maintenance, management and operation of National Highway No. NE-II (Eastern Peripheral Expressway) on the stretch of land from Km 0.00 to Km 13.035 (Sonepat Section) in District Sonepat, in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land.

The acquisition of the said land for Eastern Peripheral Expressway is in pursuance of the order of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition No 13029 of 1985 vide which the project of Eastern Peripheral Expressway was conceived. In compliance with the Hon'ble Supreme Court of India order dated the 18th August, 2005, a Monitoring Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Road Transport and Highways is also monitoring the progress of construction of Eastern Peripheral Expressway.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Land Acquisition Officer, Panipat, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 13.035 (Sonepat Section) of National Highway No. NE-II (Eastern Peripheral Expressway) in the State of Haryana.

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil/ taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in suare meters)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonepat	1 Sonepat	(1) Badh Khalsa	120	Panchayat Deh	Gair Mumkin Rasta	1442.00
				22//3/1/1/3	Private	Agriculture	810.00
				118 min	Panchayat Deh	Gair Mumkin Rasta	200.00
				116 min	Panchayat Deh	Gair Mumkin Rasta	200.00
				51 min	Panchayat Deh	Gair Mumkin/Khal	428.00
				25//26	Private	Gair Mumkin Kunwa	200.00
				25//27	Private	Gair Mumkin Kunwa	151.00
				25//28	Private	Gair Mumkin Kunwa	200.00
			(2) Sevli	189	Panchayat Deh	Gair Mumkin Rasta	200.00
			(3) Patia	71	Panchayat Deh	Gair Mumkin Rasta	200.00
				13//27	Private	Gair Mumkin Kunwa	251.00
				56	Panchayat Deh	Gair Mumkin Rasta	757.00
				77	Panchayat Deh	Gair Mumkin Rasta	202.00
				20//26	Private	Gair Mumkin Kunwa	251.00
				72	Panchayat Deh	Gair Mumkin Rasta	200.00
				20//27	Private	Gair Mumkin Kunwa	251.00
			(4) Manoli	107//3/2	Private	Agriculture	708.12
			(5) Jakhauli	121/121	Private	Agriculture	511.00
				22	Private	Agriculture	147.00
				122/25	Private	Agriculture	101.00
				132/5/2	Private	Agriculture	428.00
				133/1/1	Private	Agriculture	1294.00
				133/1/2	Private	Agriculture	1137.00
				133/2	Private	Agriculture	801.00

[F. No. NHAI/DPR/EP Exp/2005/LA]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.